रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 2018/आषाढ़ 9, 1940
No. 443] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 2018/ASHADHA 9, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2018

सं. 59/2018–**सीमा शुल्क** (**गै.टे.**)

सा.का.नि. 603(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एशिया-प्रशांत व्यापार करार (पूर्व में बैंकाक करार) नियमावली, 2006 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को एशिया-प्रशांत व्यापार करार (पूर्व में बैंकॉक करार के रूप में जाना जाता है) के तहत माल की उत्पत्ति के निर्धारण के नियम संशोधन नियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।

2. एशिया-प्रशांत व्यापार करार (पूर्व में बैंकाक करार) नियमावली, 2006 में, (एतद्पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में जाना जाएगा) पाद टिप्पण में,—

(i) पाद टिप्पण 6 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"6. जैसा की अनुबंध-ग में दिया गया है"।

(ii) पाद टिप्पण 8 के पश्चात निम्नलिखित पाद टिप्पण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"9. नियम 5 में "कुल मात्रा" की गणना, इनपुट में प्रयुक्त मूल सामग्री के मूल्य (वी ओ एम 1) और भागीदार राज्यों के द्वारा मिलाए गए मूल सामग्री के मूल्य, जहां कि अंतिम रूप से निर्मित उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की गई हो (वी ओ एम 2), को जोड़कर की जाएगी। वी ओ एम 1 से अभिप्राय उत्पाद के उस मूल्य से है जो कि पिछले

भागीदार राज्य के भू-क्षेत्र में मूलत: उत्पादित होने से निकाला गया हो, जिसकी गणना अनुच्छेद 1 से 8, अनुच्छेद 15 और सीमाशुल्क मूल्यांकन करार के संबंधित टिप्पणी की व्याख्या के आधार पर की जाएगी। वी ओ एम 2 से अभिप्राय उस मूल सामग्री के मूल्य से है जो कि उस भागीदार राज्य के भू-क्षेत्र से निकाला गया है जहां कि ऐसे अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के उत्पादन का काम या प्रक्रिया पूरी की गई हो और तैयार उत्पाद के उत्पादन का काम या प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगाये गये मूल्य के आधार पर भी निकाला गया है जो उस भागीदार राज्य में अंतिम रूप से तैयार किए गए उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में इनपुट के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, जिसमें प्रत्यक्ष श्रमिक लागत, प्रत्यक्ष उपर्शीर्ष लागत, परिवहन लागत और इस अंतिम उत्पाद का लाभ भी शामिल है। उपर्युक्त व्याख्या के अंतर्गत किसी उत्पाद को किसी भागीदार राज्य के भू-क्षेत्र में अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के उत्पादन का काम या प्रक्रिया पूरी हुई हो बशर्ते कि वी ओ एम 1 और वी ओ एम 2 को योग इसके एफ ओ बी मूल्य के 60 प्रतिशत से कम न हो।

10. नियम (6) के उपवाक्य (ख) के उप-उपवाक्य (2) के प्रावधान में "उत्पाद वहां पर व्यापार या उपभोग में प्रवेश न कर गये हों" शब्दावली की व्याख्या मध्यस्थ गैर-भागीदार राज्य के सीमाशुल्क प्राधिकारी के नियंत्रण में रहने वाले उत्पाद, जिसमें निर्यात संबंधी क्लीयरेंस की कोई प्रक्रिया न की गई हो, के बारे में यह माना जाएगा कि यह निर्यातकर्ता भागीदार राज्य द्वारा आयात करने वाले भागीदार राज्य को भेजा जाने वाला प्रत्यक्ष खेप है। "उत्पाद वहां पर व्यापार या उपभोग के लिये प्रवेश" की अभिव्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसे उत्पाद के आयात की घोषणा को स्वीकार कर लिया गया था और उत्पाद को मध्यस्थ देश के घरेलू बाजार के प्रतिबंधित क्षेत्र से जारी कर दिया गया हो जिसका कि खपत होना है या जिसे अन्य किसी अनुबंध के अंतर्गत पुन: निर्यात किया जाना है। अत: ऐसा उत्पाद जो कि सीमाशुल्क प्राधिकारी के नियंत्रण में प्रतिबंधित क्षेत्र में अस्थाई रूप से रखा गया हो और इसमें नियम (6) के उपवाक्य (ख) के उप-उपवाक्य (iii) में यथा परिभाषित रूप से भिन्न किसी प्रकार का कार्य या प्रक्रिया न की गई हो, के बारे में यह माना जाएगा कि इसका न तो व्यापार हुआ है और न ही खपत।" ।

3. उक्त नियमावली में, अनुबंध - क में,

(i) "उदगम संबंधी प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए नोट्स" शीर्षक के अंतर्गत, उप शीर्षक "II बाक्स में की जाने वाली प्रविष्टियां" में प्रविष्टि "बाक्स 5 - टैरिफ मद संख्या" में अंक, शब्द और अक्षर "4 अंकीय एचएस शीर्ष" के स्थान पर अंक, शब्द और अक्षर "6 अंकीय एचएस शीर्ष" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) "उदगम संबंधी प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए नोट्स" शीर्षक के अंतर्गत, उपशीर्षक "II बाक्स में की जाने वाली प्रविष्टियां", में प्रविष्टि "बाक्स 8 - मूलता संबंधी मानदंड" की प्रविष्टि में उपवाक्य (क) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

"(क) पूर्ण रूप से उत्पादित अथवा प्राप्त किये गए उत्पाद : बाक्स 8 में अक्षर "क" प्रविष्ट करें।

(ख) उत्पाद जिनको पूर्ण रूप से उत्पादित अथवा प्राप्त नहीं किये गए हैं, बाक्स 8 प्रविष्टि निम्नानुसार होनी चाहिए :-

1. उन उत्पादों के लिए बाक्स 8 में अक्षर "ख" प्रविष्ट करें जो नियम 4 के अनुसार उदगम संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं । अक्षर "ख" की प्रविष्टि के बाद उत्पादों के एफ ओ बी मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्ति गैर-भागीदार राज्यों अथवा अनिर्धारित उदगम मूल की सामग्री हिस्सों अथवा उत्पादों के मूल्य की राशि का उल्लेख किया जाएगा । (उदाहरणार्थ "ख" 50 प्रतिशत) ;

2. उन उत्पादों के लिए बाक्स 8 में अक्षर "ग" प्रविष्ट करें नियम 5 के अनुसार उदगम संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं । अक्षर "ग" की प्रविष्टि के बाद निर्यातित उत्पाद के एफ ओ बी मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त निर्यातक भागीदार राज्य के सीमा क्षेत्र में सीमा छेत्र में उदगमित समग्र घटकों की राशि का उल्लेख किया जाएगा; (उदाहरणार्थ "ग" 60 प्रतिशत);

3. उन उत्पादों के लिए बाक्स 8 में अक्षर "घ" प्रविष्ट करें जो नियम 11 के अनुसार उदगम संबंधी विशेष मानदंडों को पूरा करते हैं;

4. उन उत्पादों के लिए बाक्स 8 में अक्षर "ड़" प्रविष्ट करें जो नियम 4 के उपनियम (ख) के अनुसार उदगम संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं । अक्षर "ड़" की प्रविष्टि के बाद मूलत: उत्पादन के नियम के मानदंड लिखा जाएगा; (उदाहरणार्थ "ड़" CTH) ।" ।

4. उक्त नियमावली में, अनुबंध ख के पश्चात निम्नलिखित अनुबंध को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"**अनुबंध - ग**

एपीटीए के क्षेत्रीय मूल उत्पादन संबंधी नियम

अनुबंध नोट:

1. नियम 4 के उपनियम (ख) के अनुसार नीचे कॉलम 4 में निर्दिष्ट मानदंड उसमें उल्लिखित उत्पादों पर लागू होंगे।
2. कॉलम 4 के अंतर्गत और नियम 4 के उपनियम (क) के अंतर्गत दिए गए मूलत: उत्पादन संबंधी मानदंड क्रमश: विशिष्ट मदों पर लागू होंगे। यदि उत्पाद कॉलम 4 के अंतर्गत दिए गए मानदंड को पूरा नहीं करते हैं तो नियम 4 के उपनियम (क) को लागू किया जाएगा।
3. CTH (टैरिफ शीर्ष में परिवर्तन) से अभिप्राय यह है कि गैर-मूलत: उत्पादित वस्तुओं के हार्मोनाइज्ड कामोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम के टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है और इसे एक शीर्ष से हटाकर दूसरे शीर्ष में कर दिया गया है।
4. उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया निर्यातकर्ता भागीदार राज्य के भू-क्षेत्र में पूरी की गई है।

तालिका

क्रम सं.	एचएस 2017 शीर्ष	उत्पाद का विवरण	मूलत: उत्पादन के मानदंड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2201	पेय पदार्थ, स्प्रिट और सिरका	CTH
2.	2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715	मिनरल फ्यूल	CTH
3.	2852	अजैविक रसायन	CTH
4.	2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942	जैविक रसायन	CTH
5.	3002, 3006	दवा उत्पाद	CTH
6.	3817	मिकस्ड अल्कलायल बेंजीन	CTH
7.	3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906	प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं	CTH
8.	3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं	CTH
9.	4002	कृत्रित रबर	CTH 4001 ***शीर्षक के सिवाय***
10.	6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406	फुटवीयर, गेटर्स और इसी तरह के; इसी प्रकार की वस्तुओं के भाग	CTH

क्रम सं.	एचएस 2017 शीर्ष	उत्पाद का विवरण	मूलत: उत्पादन के मानदंड
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	6801, 6802, 6803	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, अदह और माइका या इसी तरह की सामग्री से बनी हुई वस्तुएं	CTH
12.	7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7218, 7224	लोहा और इस्पात	CTH
13.	7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326	लोहे और इस्पात से बनी हुई वस्तुएं	CTH
14.	7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7415, 7418, 7419	तांबा और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
15.	7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508	निकेल और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
16.	7601, 7602, 7603, 7604, 7605,7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616	एलुमिनियम और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
17.	7801, 7802, 7804, 7806	सीसा और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
18.	7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7907	जिंक और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
19.	8001, 8002, 8003, 8007	टिन और इससे बनी हुई वस्तुएं	CTH
20.	8536	विद्युतीय मशीनरी और उपकरण और भाग	CTH
21.	9619, 9620	विविध विनिर्माण वस्तुएँ	CTH".

[फा. सं. सीबीईसी -15021/2/2016-डीआईआर (आईसीडी)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 94/2006–सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 अगस्त, 2006, जोकि का.आ. 1390(अ) 31 अगस्त, 2006 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी तथा जिसे का.आ. 1679(अ) दिनांक 9 जुलाई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2009-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 9 जुलाई, 2009 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2018

No. 59/2018-Customs (N.T.)

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following rules further to amend the Rules of Determination of Origin of Goods under the Asia-Pacific Trade Agreement, (formerly known as the Bangkok Agreement) Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Rules of Determination of Origin of Goods under the Asia-Pacific Trade Agreement (formerly known as the Bangkok Agreement) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2018.

2. In the Rules of Determination of Origin of Goods under the Asia-Pacific Trade Agreement, (formerly known as the Bangkok Agreement) Rules, 2006, (hereinafter referred to as the said rules), in footnotes,-

(i) for footnote 6, the following shall be substituted, namely:-

" 6. As at Annexure-C.".

(ii) after footnote 8, the following footnotes shall be inserted, namely:-

"9. "The aggregate content" in rule 5 shall be calculated as the sum of the value of originating materials used as a input (VOM1) and the value for originating materials added by the Participating State where working or processing of the finished product has taken place (VOM2). VOM1 means value of the products which have acquired originating status in the territory of a previous Participating State, which shall be calculated on the basis of the customs value determined in accordance with Articles 1 through 8, Article 15, and the corresponding interpretative notes of the Customs Valuation Agreement. VOM2 means value of the originating materials obtained in the territory of the Participating State where working or processing of the finished product has taken place, and the value used as input in working or processing of the finished product in that Participating State, including direct labour cost, direct overhead cost, transportation cost and profit for the finished product. Under the above interpretation, the product shall be considered as a product originating in the territory of the Participating State where working or processing of the finished product has taken place, provided that the sum of VOM1 and VOM2 is not less than sixty percent. of its f.o.b. value.

10. The provision of sub-clause (ii) of clause (b) of rule (6) of "the products have not entered into trade or consumption there" shall be interpreted that the products which remain under the control of customs authority of the intermediate non-Participating state without any proceedings of import clearance procedures shall be considered as directly consigned from the exporting Participating State to the importing Participating State. The expression of "entered into trade or consumption there" is understood that the import declaration on the product was accepted and the product was released out of a bonded area into the domestic market of the intermediate country to be consumed or subsequently exported under another contract. Therefore, the product that is temporarily stored in the bonded area under the control of customs authority and has not undergone any operations or processes other than those defined in sub-clause (iii) of clause (b) of rule (6), is understood to have not entered into trade or consumption.".

3. In the said rules, in Annexure-A,

(i) under the heading "Notes for completing Certificate of Origin", in sub-heading "II Entries to be made in the boxes", under the entry "Box 5 Tariff Item Number" for the figures, words and letters "4-digit HS heading" the figures, words and letters "6-digit HS heading" shall be substituted;

(ii) under the heading "Notes for completing Certificate of Origin", in sub-heading "II Entries to be made in the boxes", under the entry "Box 8 Origin Criterion", for clause (a), the following shall be substituted, namely:-

"(a) Products wholly produced or obtained: enter the letter "A" in Box 8.

(b) Products not wholly produced or obtained: the entry in Box 8 should be as follows:

1. Enter letter "B" in Box 8, for products, which meet the origin criteria according to Rule 4. Entry of letter "B" would be followed by the sum of the value of materials, parts or produce originating from non-Participating States, or undetermined origin used, expressed as a percentage of the f.o.b. value of the products; (example "B" 50 per cent);

2. Enter letter "C" in Box 8 for products, which meet the origin criteria according to Rule 5. Entry of letter "C" would be followed by the sum of the aggregate content originating in the territory of the exporting Participating State expressed as a percentage of the f.o.b. value of the exported product; (example "C" 60 per cent);

3. Enter letter "D" in Box 8 for products, which meet the special origin criteria according to Rule 11;

4. Enter letter "E" in Box 8 for products which meet the origin criteria according to sub-rule (b) of rule 4. Entry of letter "E" would be followed by the criteria of the rules of origin (example "E" CTH).".

4. In the said rules, after Annexue-B, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"**ANNEXURE – C**

Sectoral RoO (Rules of Origin) of APTA

Annex note:

1. In accordance with sub-rule (b) of rule 4, the criteria specified in column 4 below shall apply for the products listed therein.
2. The origin criteria under column 4 and sub-rule (a) of rule 4, respectively, would be applied sequentially to specific items. If the products cannot meet the criteria under column 4, then the sub-rule (a) of Rule 4 would be applied.
3. CTH (Change in Tariff Heading) means that the non-originating materials have undergone a change in tariff classification of the Harmonised Commodity Description and Coding System to a Heading from any other Heading.
4. The final process of manufacture is performed within the territory of the exporting Participating State.

TABLE

Sr. No.	**HS 2017 Heading**	**Product Description**	**Origin Criteria**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	2201	Beverages, spirits and vinegar	CTH
2.	2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715	Mineral fuels	CTH
3.	2852	Inorganic chemicals	CTH
4.	2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942	Organic chemicals	CTH
5.	3002, 3006	Pharmaceutical products	CTH
6.	3817	Mixed alkyl benzenes	CTH
7.	3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906	Plastics and articles thereof	CTH
8.	3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	Plastics and articles thereof	CTH
9.	4002	Synthetic rubber	CTH except from heading 4001
10.	6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles	CTH

Sr. No.	HS 2017 Heading	Product Description	Origin Criteria
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	6801, 6802, 6803	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials	CTH
12.	7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7218, 7224	Iron and Steel	CTH
13.	7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326	Articles of Iron or Steel	CTH
14.	7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413,7415,7418, 7419	Copper and articles thereof	CTH
15.	7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508	Nickel and articles thereof	CTH
16.	7601, 7602, 7603, 7604, 7605,7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616	Aluminium and articles thereof	CTH
17.	7801, 7802, 7804, 7806	Lead and articles thereof	CTH
18.	7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7907	Zinc and articles thereof	CTH
19.	8001, 8002, 8003, 8007	Tin and articles thereof	CTH
20.	8536	Electrical machinery and equipment and parts	CTH
21.	9619, 9620	Miscellaneous manufactured articles	CTH".

[F. No. CBEC -15021/2/2016-Dir (ICD)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The Principal Rules were published vide notification No.94/2006 - CUSTOMS (N.T.), dated 31st August, 2006, in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1390 (E), dated the 31st August, 2006 and was last amended by notification No. 79/2009 – CUSTOMS (N.T.) dated the 9th July, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1679 (E), dated the 9th July, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.30 17:54:23 +05'30'